



Government of India

Ministry of Human Resource Development

Department of School Education and Literacy

**Setting up of 2500
Model Schools under
Public-Private-
Partnership (PPP) mode**

**REQUEST FOR QUALIFICATION (RFQ) FOR SETTING UP OF MODEL SCHOOLS
UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) MODE**

The Model School Scheme of the Ministry of Human Resource Development, Government of India aims to set up 2,500 model schools under PPP mode as benchmark of excellence in blocks other than Educationally Backward Blocks (EBBs) at the rate of one school per block. Initially, 500 such schools are proposed to be set up. The Ministry of Human Resource Development, Department of School Education and Literacy accordingly invites proposal from interested private entities for qualification to set up such model schools.

Kindly visit the Ministry's website www.mhrd.gov.in for RFQ details. The RFQ may be obtained between 1100 hrs to 1300 hrs and 1400 hrs to 1600 hrs from Facilitation Counter of this Ministry, situated at Ground Floor, Shastri Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110001 on all working days on payment of a fee of Rs. 10,000/- (Rupees Ten Thousand only) in the form of a demand draft drawn on any Scheduled Bank in India in favour of PAY AND ACCOUNTS OFFICER, MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT, NEW DELHI, payable at NEW DELHI. The RFQ can also be downloaded from http://mhrd.gov.in/msup_eng. (Downloaded form will have to be submitted along with the DD of Rs. 10,000/-).

Those private entities who had earlier responded to the Notice Inviting Expression of Interest (EoI) published by this Ministry in March, 2012 have to submit the proposal again in response to this RFQ in order to qualify. However, they need not submit the requisite fee of Rs.10,000/- along with their proposal.

Last date for submission of PROPOSAL is 01.10.2012 upto 1100 hours IST. Sealed envelope earmarked to the captioned address, containing proposal may be submitted mentioning the following:

"RFQ for setting up of Model School under PPP mode"
Smt. Radha S. Chauhan, Joint Secretary (SE.I), DSEL,
Ministry of Human Resource Development, GoI,
Room 107 -D, Shastri Bhawan, New Delhi – 110001

Note: DSEL, MHRD or any of its designates reserves the right to cancel this Request for Qualification(RFQ) and/or invite afresh with or without amendments, without liability or any obligation for such Request for Qualification(RFQ) and without assigning any reason. Information provided at this stage is indicative and DSEL, MHRD reserves the right to amend/add further details in the RFQ.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड
के तहत 2500 मॉडल स्कूलों की स्थापना

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत 2500 मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु पात्रता का अनुरोध पत्र (आरएफक्यू)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की मॉडल स्कूल योजना का उद्देश्य शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों को छोड़कर प्रत्येक ब्लॉक में एक स्कूल की दर से सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में 2500 मॉडल स्कूलों की स्थापना करना है। प्रारंभ में, ऐसे 500 स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव है। तदनुसार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग इच्छुक निजी संस्थाओं से ऐसे मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

कृपया आरएफक्यू ब्यौरे हेतु मंत्रालय की वेबसाइट www.mhrd.gov.in देखें। आरएफक्यू दस्तावेजों को भूमि तल, शास्त्री भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली -110001 में स्थित इस मंत्रालय के सुविधा केन्द्र से भुगतान तथा लेखा अधिकारी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के नाम नई दिल्ली में देय किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 10,000 रु. (रुपए दस हजार मात्र) शुल्क के भुगतान पर सभी कार्य दिवसों को 11.00 से 13.00 बजे तथा 14.00 से 16.00 बजे के बीच प्राप्त किया जा सकता है। आरएफक्यू को http://mhrd.gov.in/msup_eng से भी डाउनलोड किया जा सकता है। (डाउन लोड किए गए फार्म को 10,000 रु. के डिमांड ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत करना होगा)

उन निजी संस्थाओं, जिन्होंने रुचि की अभिव्यक्ति के नोटिस का पहले उत्तर दिया था, जोकि इस मंत्रालय द्वारा मार्च, 2012 में प्रकाशित किया गया था, को पात्रता के लिए इस आरएफक्यू के उत्तर में पुनः प्रस्ताव भेजना होगा। तथापि उन्हें अपने प्रस्ताव के साथ 10,000/- रु. का अपेक्षित शुल्क प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 01.10.2012 को भारतीय मानक समय 11.00 बजे तक है। निम्नलिखित का उल्लेख करते हुए आरएफक्यू मोहरबंद लिफाफे में निम्न पते पर भेजा जा सकता है

"पीपीपी के तहत मॉडल स्कूलों की स्थापना हेतु आरएफक्यू"
श्रीमती राधा एस. चौहाण, संयुक्त सचिव (एसई.1), डीएसईएल,

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
कमरा 107-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

नोट: डीएसईएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा इसका कोई मनोनीत इस प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफक्यू) को ऐसे प्रस्ताव के अनुरोध (आरएफक्यू) हेतु बिना किसी जवाबदेही अथवा किसी उत्तरदायित्व के तथा बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकता है तथा/ अथवा किसी संशोधन अथवा बिना किसी संशोधन के नया प्रस्ताव आमंत्रित कर सकता है। इस स्तर पर उपलब्ध कराई गई सूचना निदर्शी है तथा डीएसईएल, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को आरपीएफ में संशोधन करने/और ब्यौरा जोड़ने का अधिकार है।